संख्या–वे0आ0–2–402/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 21 जून, 2013

विषय– वेतन समिति (2008) के तेरहवें प्रतिवेदन (भाग–1) के माध्यम से दी गयी स्थानीय निकायों की पदवार विस्तृत संस्तुतियों/सुझाव पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा तेरहवें प्रतिवेदन (भाग–1) के माध्यम से दी गयी स्थानीय निकायों की पदवार विस्तृत संस्तुतियों/सुझाव को राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुए अगले प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

(1) अधिशासी अधिकारी (नगर पंचायत) के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। भविष्य में, लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की प्रक्रिया तथा स्नातक अर्हता की वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखा जाय परन्तु पद पर भर्ती कार्मिक का स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक द्वारा डोयक (DOEACC) सोसाइटी से प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी श्रेणी–4 व श्रेणी–3 के पदों को संविलीन करते हुए अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3 पदनाम एवं पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय तथा भविष्य में इन पदों को 07 वर्ष की सेवा वाले अधिशासी अधिकारी (नगर पंचायत) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(3) अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2/नगर अधिकारी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय तथा भविष्य में इन पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3 के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(4) वर्तमान में सहायक नगर आयुक्त के 22 पद, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1 के 22 पद तथा उप सचिव विकास प्राधिकरण के 12 पद कुल

56 पद वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– में उपलब्ध हैं। उक्त पदों के पदनाम एवं ग्रेड वेतन को यथावत् बनाये रखते हुए अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की जाय :—

50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पद 03 वर्ष की सेवा वाले अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2/नगर अधिकारी के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जायें। सीधी भर्ती हेतु वर्तमान में निर्धारित स्नातक अर्हता को बनाये रखा जाय परन्तु यह शर्त भी रखी जाय कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब वे डोयक सोसाइटी (DOEACC) से प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे।

(5) वर्तमान में उप नगर आयुक्त के 41 पद, संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण के लिये 02 पद तथा अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड के 16 पद, कुल 59 पद वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– में उपलब्ध हैं। उप नगर आयुक्त एवं समकक्ष पदों के 20 प्रतिशत पदों पर उप नगर आयुक्त (विशेष वेतनमान) पदनाम से वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– दिये जाने का प्रावधान है।

उप नगर आयुक्त एवं समकक्ष के 40 पद वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– में तथा संयुक्त नगर आयुक्त के 19 पद वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– में रखे जायें। उप नगर आयुक्त के पद पर 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1/उप सचिव विकास प्राधिकरण के पदधारकों से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय। इसी प्रकार संयुक्त नगर आयुक्त के पद पर 03 वर्ष की सेवा वाले उप नगर आयुक्त एवं समकक्ष पद के धारकों से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(6) अपर नगर आयुक्त के 20 पदों को यथावत् बनाये रखते हुए उक्त पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/– निर्धारित किया जाय। अपर नगर आयुक्त के पद पर 02 वर्ष की सेवा वाले संयुक्त नगर आयुक्त के पदों से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(7) उपरोक्त निर्णय के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों की प्रशासी सेवा संवर्ग के पदों का पुनर्गठित ढ़ॉचा निम्नानुसार निर्धारित हो जायेगा :–

वर्तमान स्थिति			प्रस्तावित स्थिति		
पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	प्रस्तावित पदनाम	पदों की संख्या	प्रस्तावि वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर नगर आयुक्त	20	15600–39100/7600	अपर नगर आयुक्त	20	37400–67000/8700
उप नगर आयुक्त (विशेष	उप नगर आयुक्त	15600–39100/7600	संयुक्त नगर	19	15600–39100/7600

वेतनमान)	के पदों के 20 प्रतिशत पद		आयुक्त		
उप नगर आयुक्त / संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण / अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड	59	15600–39100 / 6600	उप नगर आयुक्त / संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण / अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड	40	15600–39100 / 6600
सहायक नगर आयुक्त (22) / अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1(22) / उप सचिव विकास प्राधिकरण (12)	56	15600–39100 / 5400	सहायक नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1 / उप सचिव विकास प्राधिकरण	56	15600–39100 / 5400
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2 (अनुभागीय अधिकारी नगर निगम–06)	44	9300–34800 / 4200	अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2 / नगर अधिकारी	44	9300–34800 / 4600
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3	30	5200–20200 / 2800	अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3	118	9300–34800 / 4200
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–4	88	5200–20200 / 2800			
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत	423	5200–20200 / 2000	अधिशासी अधिकारी (नगर पंचायत)	423	5200–20200 / 2800
योग–	720			720	

उपर्युक्त पदों पर भर्ती हेतु व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :—

पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती की व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
अपर नगर आयुक्त	17	37400–67000 / 8700	02 वर्ष की सेवा वाले संयुक्त नगर आयुक्त के पदों से पदोन्नति द्वारा।
संयुक्त नगर आयुक्त	19	15600–39100 / 7600	03 वर्ष की सेवा वाले उप नगर आयुक्त / समकक्ष पदों से पदोन्नति

			द्वारा।
उप नगर आयुक्त/ समकक्ष पद	40	15600–39100/ 6600	05 वर्ष की सेवा वाले सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1/ उप सचिव विकास प्राधिकरण के पदों से पदोन्नति द्वारा।
सहायक नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1/उप सचिव विकास प्राधिकरण	56	15600–39100/ 5400	1. 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता– स्नातक उपाधि। परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब वे डोयक सोसाइटी (DOEACC) से प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। 2. 50 प्रतिशत पद 03 वर्ष की सेवा वाले अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2/नगर अधिकारी के पदों से पदोन्नति द्वारा।
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2/नगर अधिकारी	44	9300–34800/ 4600	05 वर्ष की सेवा वाले अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3 के पदों से पदोन्नति द्वारा।
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3	118	9300–34800/ 4200	07 वर्ष की सेवा वाले अधिशासी अधिकारी (नगर पंचायत) के पदों से पदोन्नति द्वारा।
अधिशासी अधिकारी (नगर पंचायत)	423	5200–20200/ 2800	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता– स्नातक उपाधि। परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक द्वारा डोयक सोसाइटी (DOEACC) से प्रदत्त "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जायेगा।

(8) नगरीय निकायों में स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत विद्यमान मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक पदों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 एवं जोनल सेनेटरी अधिकारी के पद को वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 में तत्काल प्रभाव से रखा जाय।

(9) नगरीय स्थानीय निकायों में विद्यमान मुख्य अभियन्ता ग्रेड वेतन रू0 7600 के पदों पर राजकीय विभागों के अधीक्षण अभियन्ता पद के समान वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700 में तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(10) जल संस्थानों के अकेन्द्रीयत सेवा के वित्त अधिकारी के पदों को उच्चीकृत कर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रू0

16500–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय तथा वर्तमान पदधारकों द्वारा पद रिक्त किये जाने पर इन पदों को वित्त एवं लेखा सेवा के पदधारकों से भरे जाने का प्राविधान किया जाय।

(11) नगरीय निकायों के कम्पाउन्डर (पशु) के पद पर, वेतन समिति (2008) की स्थानीय निकायों के फार्मासिस्ट संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आलोक में व्यवस्था की जायेगी।

(12) उपरोक्तानुसार पदों के वेतनमानों में उच्चीकरण/पदों का पुनर्गठन इस प्रतिबन्ध के अधीन किया जाय कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने स्रोतों से किया जायेगा और राज्य सरकार से इस आधार पर कोई अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(13) प्रशासकीय विभाग, निम्न व्यवस्था करने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे :—

(i) स्थानीय निकाय निदेशालय का नाम नगर निकाय निदेशालय परिवर्तित करते हुए इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाय।

(ii) निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नगरीय निकायों के जलकल प्रतिष्ठानों में स्टाफ नियुक्त किया जाय।

(14) नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य पदों पर कोई विसंगति नहीं है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

(15) वेतन समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिक यथा–चतुर्थ श्रेणी एवं लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों को जनपद में विद्यमान अन्य निकायों में स्थानान्तरणीय बनाये जाने की व्यवस्था की जाय और सम्बन्धित नियमों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित् करें।

2– पूर्व प्रस्तर में उल्लिखित निर्णय के अनुसार वेतनमान आदि लागू करने हेतु सम्बन्धित निकाय के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग द्वारा वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन (भाग–1) में की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित संकल्प संख्या–वे0आ0–2–251/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 07 फरवरी, 2009 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–10, 11, 12 तथा 13 में व्ययभार वहन करने के सम्बन्ध में उपलब्ध व्यवस्था, जो निम्नवत् है, के आलोक में परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाय :—

उप प्रस्तर–10 :—

नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों के कर्मचारियों/अधिकारियों अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं तथा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय–भार को वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही

धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित निकाय/संस्था का ही होगा।

उप प्रस्तर–11 :—

राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों को संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अपने स्रोतों से हुई आय की धनराशि से सम्बन्धित निकाय अपनी अन्य विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने स्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जायेगा।

उप प्रस्तर–12 :—

विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाएं तथा अन्य लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि उक्त पर आने वाले व्यय–भार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी तथा ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं के देयों अथवा शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। प्राधिकरणों को अपने कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने से अधिष्ठान व्यय में होने वाली वृद्धि के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं एवं शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

उप प्रस्तर–13 :—

जल संस्थान के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाएं तथा अन्य लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि इसके फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय–भार को सम्बन्धित जल संस्थान द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा इससे जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत सामान्य जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3– कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने हेतु पूर्व प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार परीक्षण करते हुए अपेक्षित प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–402(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।